



कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, वनमण्डल धार  
माण्डव रोड, धार (म.प्र.)-454001

Email - dfotdhar@mp.gov.in फोन नं. 07292-222250, फेक्स नं. 07292-222250

क्रमांक / संरक्षण / 22 / 2746  
प्रति,

धार, दिनांक 04/06/2022

वन परिक्षेत्राधिकारी

वन परिक्षेत्र - घामनौद / मा 024

विषय :- Request for issue the permission for translocating the tree from Dhampuri, Dosoda, Pannala Villages to our Botanical Garden regarding;

संदर्भ :- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं पदेन वन संरक्षक वृत्त इन्दौर का पत्र क्र. /संरक्षण/22/4007 दिनांक 02.06.2022।

-00-


संदर्भित पत्र के संबंध में लेख है कि आवेदक ग्रीन किंगडम बोटनिकल गार्डन प्रायवेट लिमिटेड ग्राम प्रोद्यातुर, शंकरपल्ली मंडल जिला आर.आर., हैदराबाद और तेंलगाना द्वारा दिनांक 02.06.2022 को टी.पी. हेतु वन वृत्त कार्यालय इन्दौर में आवेदन प्रस्तुत किया था। आवेदक अनुसार ग्राम प्रोद्यातुर में ग्रीन किंगडम बोटनिकल गार्डन प्रायवेट लिमिटेड 200 एरिया में बनाया जा रहा है। जिसके अंतर्गत इनके द्वारा विभिन्न स्थानों से विदेशी और दुर्लभ किस्मों के वृक्ष एकत्र कर स्थानांतरण कर पुर्नस्थापना की जावेंगी।

जिसके संदर्भ में आवेदक ग्रीन किंगडम बोटनिकल गार्डन प्रायवेट लिमिटेड द्वारा-

- (1) कृषक श्री कैलाश पिता तोलाराम जाति गुर्जर निवासी ग्राम पनाला एवं अन्य कृषक साथी 06 की निजी भूमि में लगे वृक्षों के लिए न्यायालय अपर तहसीलदार टप्पा-नालछा तहसील पीथमपुर जिला धार दिनांक के पत्र क्रमांक/884/रीडर-3/2022 नालछा 01.06.2022 से इस संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत किया है। अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार कुल रकबा 2.064 है। की भूमि पर स्थित 08 वृक्ष (प्रजाति का उल्लेख नहीं है) को स्थानांतरित करने हेतु प्रदान किया है।
- (2) कृषक शकील पिता मुस्त्यार जाति मुसलमान निवासी ग्राम धरमपुरी की डोंगरी व धसोडा स्थित निजी कृषि भूमि में लगे वृक्षों के लिए न्यायालय तहसीलदार तहसील धरमपुरी जिला धार के पत्र क्रमांक/1058/रीडर-1/2022 धरमपुरी 03.06.2022 से भी इस संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार रकबा 1.024 है। की भूमि पर लगे 03 खुरसानी ईमली के वृक्ष प्राप्त कर स्थानांतरित करने हेतु प्रदान किया है।

अतः आवेदक एवं कृषको को न्यायालय अपर तहसीलदार टप्पा-नालछा तहसील पीथमपुर जिला धार के एवं न्यायालय तहसीलदार तहसील धरमपुरी जिला धार द्वारा दीये गए अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार एवं संदर्भित पत्र से आवेदक को अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार परिवहन अनुज्ञा (टी.पी.)पत्र निम्नाकिंत शर्तों के अधीन जारी करने की स्वीकृती प्रदान की जाती है :-

- (1) उपवनमण्डलाधिकारी/वनपरिक्षेत्राधिकारी स्वयं मौके पर उपस्थित होकर सत्यापित करवाये तथा समक्ष में हेमर लगवाना सुनिश्चित करें एवं नियमानुसार टी.पी. एवं हेमर शुल्क प्राप्त कर प्रतिवेदन देवें।
- (2) काष्ठ का परिवहन सूर्योदय के पूर्व एवं सूर्यास्त के पश्चात नहीं किया जायें।
- (3) म0प्र0 अभिवहन वनोपज नियम 2000 अनुसार कार्यवाही कर परिवहन अनुज्ञा पत्र जारी किया जायें।
- (4) आवेदक द्वारा दिये गये शपथ पत्र/आवेदन में उल्लेखानुसार कार्य हेतु है। सही उपयोग न किये जाने पर वैधानिक कार्यवाही की जायेंगी।
- (5) काष्ठ पर हरे पेन्ट से दोनो मुँह पर हेमर लगावें।
- (6) उप वनमण्डलाधिकारी/वनपरिक्षेत्राधिकारी हेमर की मांग करें। एवं समक्ष में हेमर लगाकर वापस करें।


  
04.06.22  
वन मण्डलाधिकारी  
वनमण्डल-धार

पृ0क्रमांक/संरक्षण/22/१7५7

धार, दिनांक 04/06/2022

प्रतिलिपि :- (1) अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं पदेन वन संरक्षक वृत्त इन्दौर का पत्र क्रं./संरक्षण/22/4007 दिनांक 02.06.2022 के संदर्भ में सूचनार्थ संप्रेषित।

(2) आवेदक ग्रीन किंगडम बोटनिकल गार्डन प्रायवेट लिमिटेड ग्राम प्रोधातुर शंकरपल्ली मंडल जिला आर.आर., हैदराबाद और तेंलगाना की और सूचनार्थ।

  
04.06.22  
वन मण्डलाधिकारी  
वनमण्डल-धार



कार्यालय वन संरक्षक, वन वृत्त, इन्दौर

नवरतनबाग, फॉरेस्ट केम्पस, इन्दौर, म.प्र. - 452001

Tel. (O) 0731-2491831 (Fax) 0731-2491657

E-mail ccf ind@mp.gov.in

क्रमांक/संरक्षण/2022/4007  
प्रति,

इन्दौर, दिनांक : 2-6-2022


वनमण्डलाधिकारी,  
वनमण्डल, धार

विषय:- Request for issue the permission for translocating the trees from  
Dharpuri, Dasoda, Pannala Villages to our Botanical Garden regarding;

संदर्भ :- ग्रीन फिडम बोटनिकल गार्डन प्रायवेट लिमिटेड का आवेदन इस कार्यालय में  
प्राप्त दिनांक 02.06.2022

विषयान्तर्गत लेख है कि ग्रीन फिडम बोटनिकल गार्डन प्रायवेट लिमिटेड का आवेदन  
इस कार्यालय को प्राप्त हुआ है जिसकी छायाप्रति संलग्न कर, आपको निर्देशित किया जाता है कि  
न्यायालय अपर तहसीलदार टपपा-नालछा तहसील पीथमपुर जिला धार द्वारा पत्र  
क्रमांक/884/रीडर-3/2022 नालछा दिनांक 01.06.2022 से दिये गये अनापत्ति प्रमाण अनुसार  
टी.पी. जारी कर इस कार्यालय को अवगत कराना सुनिश्चित करे।


संलग्न :- उपरोक्तानुसार

  
02.06.22

(एच.एस.मोहन्ता)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक  
एवं पदेन वन संरक्षक  
वन वृत्त, इन्दौर



  
2/6/22

न्यायालय अपर तहसीलदार, टप्पा-नालछा, तह.पीथमपुर जिला धार

कमांक / 884 / रीडर-3 / 2022

नालछा, दिनांक 01/06/2022

प्र.क./0026/बी-121/2022-23

// अनापत्ति प्रमाण पत्र //

यह कि प्रार्थी कमांक 01 ग्रीन फिडम बोटनिकल गार्डन प्रायवेट लिमिटेड तथा आवेदकगण कमांक 02(कृषक) कौलाश पिता तोलाराम जाति गुर्जर निवारी ग्राम पनाला के नाम से ग्राम पनाला स्थित भूमि सर्वे नंबर 126 रकबा 0.531 हेक्टेयर भूमि, कृषक भंवरसिंह पिता मांगीलाल जाति भील निवासी ग्राम हेमावर्डी के नाम से ग्राम हेमावर्डी स्थित भूमि सर्वे नंबर 3/5/5, 3/18/1, 10/2/3 कुल रकबा 0.519 हे. भूमि, कृषक देवीसिंह पिता छीतर जाति भील निवासी ग्राम पनाला के नाम से ग्राम साकलतोड स्थित भूमि सर्वे नंबर 4/1, 4/6, 8/4, 19/4, 27/4, 27/9, 30/5 कुल रकबा 2.998 हेक्टेयर, कृषक भूपेन्द्रसिंह पिता विजयसिंह जाति भीलाला नि.ग्राम शिकारपुरा के नाम से ग्राम शिकारपुरा स्थित भूमि सर्वे कमांक 30/2, 31 रकबा 0.822 हे. भूमि, कृषक मुकुट पिता मकरानी जाति भील निवासी ग्राम पनाला के नाम से ग्राम ज्ञानपुरा स्थित भूमि सर्वे नंबर 24/2/1 रकबा 0.455 हे. भूमि, कृषक रमेश पिता धन्या जाति गुर्जर निवारी ग्राम पनाला के नाम से ग्राम पनाला स्थित भूमि सर्वे नंबर 93/1, 112/1, 113/2, 132/1, 132/3, 132/5 कुल रकबा 2.264 हे. भूमि तथा कृषक इन्दरसिंह पिता गोबाजी जाति गुर्जर निवारी ग्राम पनाला के नाम से ग्राम पनाला स्थित भूमि सर्वे कमांक 93/1/2, 112/1/2, 113/2/3, 132/1/1, 132/3/1, 132/5/1 कुल रकबा 2.264 हेक्टेयर की भूमि पर स्थित कुल 08 वृक्ष को स्थानांतरित करने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान किये जाने हेतु निवेदन किया गया है।

प्रकरण में प्रस्तुत आवेदक कमांक 01 तथा आवेदक कमांक 02 के आवेदन पत्र, खाता-खसरा नकल, पटवारी रिपोर्ट, शपथ पत्र के आधार पर यह प्रमाणित किया जाता है कि शासन हित निहितार्थ नहीं होने से आवेदक कमांक 01 ग्रीन फिडम बोटनिकल गार्डन प्रायवेट लिमिटेड तथा आवेदकगण कमांक 02 कृषकगण अपनी निजी भूमि को कृषि योग्य बनाने व कृषको की भूमि पर लगे वृक्ष को सुरक्षित व विधि अनुरूप यदि वृक्षों का स्थानांतरण करते हैं तो इस न्यायालय को आपत्ति नहीं है।

अतः आवेदकगण के चाहे जाने पर उक्त अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है।

अपर तहसीलदार  
टप्पा-नालछा तहपीथमपुर  
जिला-धार (म0प्र0)

# GREEN KINGDOM

BOTANICAL GARDENS PRIVATE LIMITED

To,

Additional Principal  
chief Conservator Of Forest  
Indore Circle Indore

Sub: Request for issue the permission for translocating the trees from Dharmपुरi, Dasoda, Pannala Villages to our Botanical Garden regarding;

with reference to the above Subject, we are making a big botanical garden in 200 acres at proddutture village, Shankarpally mandal R.R. District, Hyderabad and Telangana State. In this regard we are collecting the exotic and rare varieties of Trees from various places, now we want to collect some trees from your places, which are in the villages of Dharmपुरi, Dasoda, Pannala, Tehsil- Nalcha-District-Dhar.

So we request you to please give the permission for Translocating the Trees from villages of Dharmपुरi, Dasoda, Pannala, Tehsil- Nalcha-District-Dhar. to our Botanical Garden-Hyderabad.


Enclosed; Necessary details

Thanking you

Yours faithfully

For Green Kingdom Botanical gardens private Limited

Authorised Signatory



PLOT NO: 489, ROAD NO:12, BANJARA HILLS, HYDERABAD -500034, Telangana State

# न्यायालय तहसीलदार तहसील धरमपुरी जिला धार (म0प्र0)

कमांक / 1058/रीडर-1/2022

धरमपुरी दिनांक 03.06.2022

रा. प्र. कमांक / 00 42/बी-121/2020-201

## -: अनापत्ति प्रमाण पत्र :-

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रथी कमांक 01 ग्रीन फिडम बोटनिकल गार्डन प्रायवेट लिमिटेड तथा आवेदक शकिल पिता मुक्ष्यार जाति मुसलमान निवासी ग्राम धरमपुरी तहसील धरमपुरी जिला धार द्वारा ग्राम डोगरी दसोडा में स्थित कृषि भूमि सर्वे नम्बर 305/1 रकबा 1.024 हेक्टेयर भूमि पर स्थित हांकर उक्त भूमि के विचो विच 03 खुरसानी ईमली के वृक्ष होकर उक्त वृक्षों की छाव के कारण कृषि भूमि में बोई गई फसल को नुकसान हो रहा है। एवं कृषि कार्य करने में भी बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड रहा है। इस कारण उक्त वृक्ष की लताओ को काटने एवं स्थानारण करने का अनुमति प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किय गया।

2. प्रकरण विधिवत दर्ज किया जाकर मौजा पटवारी से रिपोर्ट ली गई, मौजा पटवारी द्वारा रिपोर्ट में दर्शाया गया कि आवेदक शकिल पिता मुक्ष्यार जाति मुसलमान निवासी ग्राम धरमपुरी तहसील धरमपुरी जिला धार द्वारा ग्राम डोगरी दसोडा में स्थित कृषि भूमि सर्वे नम्बर 305/1 रकबा 1.024 हेक्टेयर भूमि पर खातेदार आवेदक शकिल पिता मुक्ष्यार जाति मुसलमान निवासी ग्राम धरमपुरी राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। वृक्ष की लताओ को पुर्नस्थापन एवं स्थानारण करने का अनुमति प्रमाण पत्र प्राप्त हेतु प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। उक्त भूमि सर्वे नम्बर 305/1 कुल रकबा 1.024 में स्थित खुरसानी ईमली के वृक्षा के लताओ को पुर्नस्थापन एवं स्थानारण की अनुमति प्रदाय की गई है।

3. आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र मौजा पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर ग्राम डोगरी दसोडा में स्थित कृषि भूमि सर्वे नम्बर 305/1 कुल रकबा 1.024 हेक्टेयर भूमि पर स्थित खुरसानी ईमली के वृक्ष खुरसानी ईमली के वृक्षा के लताओ को पुर्नस्थापन एवं स्थानारण हेतु म. प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 240 के तहत खुरसानी ईमली के वृक्ष पुर्नस्थापन एवं स्थानंतरण किये जाने की अनुमति प्रमाण पत्र दिया जाता हैं। भूमि स्वामी पर काटे जाने वाले वृक्षा एवं स्थानंतरण की संख्या के 5 गुना वृक्ष अपनी भूमि पर रोपण करेगे। आवेदित भूमि के संबंध में स्वामित्व संबंधी कोई विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में उक्त अनुमति स्वतः निरस्त मानी जावेगी। एवं परिवहन का टी पी वन विभाग से प्राप्त करना आवश्यक होगा। प्रकरण दायरा पंजी से कम होकर दाखिल रिकार्ड हो।

पृ. कमांक / 1059/री-1/2021  
प्रतिलिपि,

- (1) कलेक्टर महोदय जिला धार की और सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- (2) अनुविभागीय अधिकारी महोदय राजस्व मनावर की और सादर सूचनार्थ।
- (3) वन परिक्षेत्राधिकारी धामनोद की और सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
- (4) संबंधित ग्राम पटवारी धरमपुरी की ओर सूचनार्थ।
- (5) आवेदक प्रथी कमांक 01 ग्रीन फिडम बोटनिकल गार्डन प्रायवेट लिमिटेड हेदराबाद की और पालनार्थ।

03/06/2022  
तहसीलदार,  
तहसील धरमपुरी जिला धार  
धरमपुरी दिनांक 03.06.2022

तहसीलदार  
तहसील धरमपुरी जिला धार  
धरमपुरी (वार)